NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-11-2026

विषय सूची

आरबीआई अपना स्वर्ण भंडार भारत वापस क्यों ला रहा है?

लोकतंत्र में अंबेडकर की अंत:करण संबंधी अवधारणा

उच्चतम न्यायालय का निर्देश: PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य

वर्ष 2026 में वैश्विक समुद्री व्यापार के ठहराव की आशंका

संक्षिप्त समाचार

गुरु तेग बहादुर जी

भारत में विटामिन B12 की कमी

पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

वर्ष 2028 के मध्य तक स्वदेशी ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई (GPU) विकसित करने का लक्ष्य

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में सहयोग

बोइता बंदना

आरबीआई अपना स्वर्ण भंडार भारत वापस क्यों ला रहा है?

समाचारों में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर जारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अब वह अपने कुल स्वर्ण भंडार का 84% भारत में रखता है। यह चार वर्ष पूर्व भारत में रखे जाने वाले 39% स्वर्ण भंडार की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

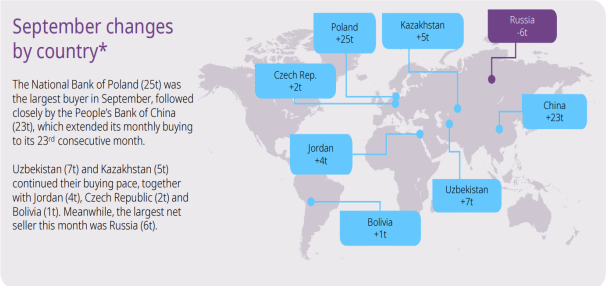

विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं एवं स्वर्ण के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों से है। इनका उपयोग आयात भुगतान, बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान तथा रुपये के मूल्य को स्थिर रखने के लिए किया जाता है।

- विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (सबसे बड़ा घटक)।
  - स्वर्ण।
  - विशेष आहरण अधिकार (SDRs)।
  - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास आरक्षित निधि का हिस्सा।

समाचार से संबंधित प्रमुख तथ्य

- **भारत में रखा गया स्वर्ण:** सितंबर 2026 के अंत में भारत में रखे गए स्वर्ण की मात्रा बढ़कर 740.13 टन हो गई, जबकि मार्च 2026 के अंत में यह 680.05 टन थी। आरबीआई के पास कुल 880.52 टन स्वर्ण भंडार है।
- **स्वर्ण की निरंतर वापसी:** अक्टूबर 2022 से आरबीआई प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में स्वर्ण भारत वापस ला रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में रिकॉर्ड 168.06 टन स्वर्ण भारत वापस लाया गया।

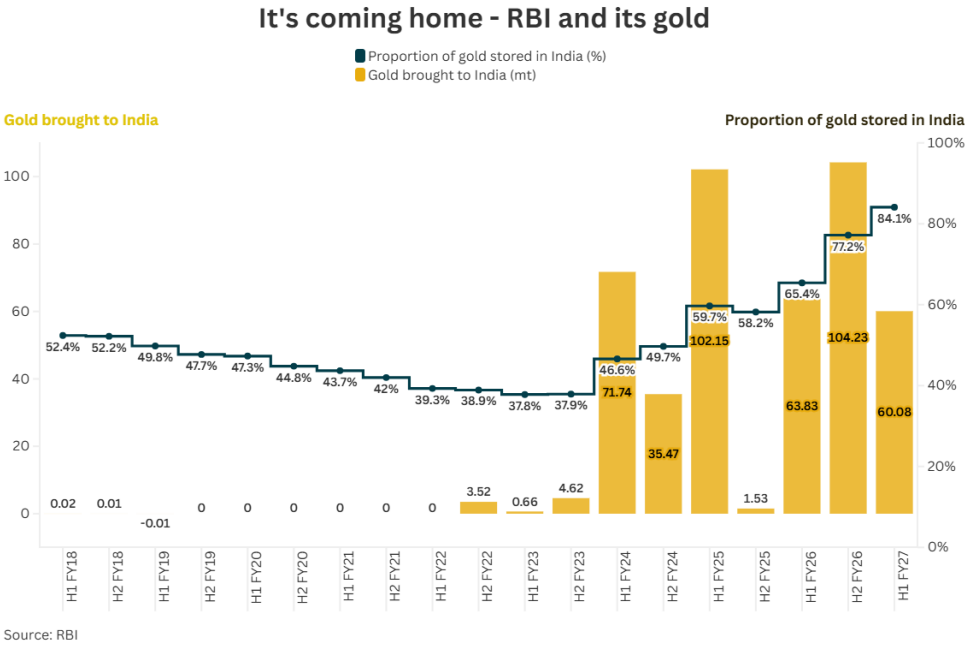

Source: RBI

स्वर्ण को आरक्षित परिसंपत्ति क्यों माना जाता है?

- **सार्वभौमिक स्वीकार्यता:** स्वर्ण को विश्व के सभी देशों में स्वीकार किया जाता है। किसी मुद्रा पर विश्वास कम होने की स्थिति में भी इसका विश्व में कहीं भी विक्रय, विनिमय किया अथवा गिरवी रखा जा सकता है।
- **मूल्य का स्थायी भंडार:** स्वर्ण ने सदियों से अपनी क्रय शक्ति बनाए रखी है। इसलिए यह मुद्रास्फीति के विरुद्ध दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- **मुद्रा जोखिम से सुरक्षा:** डॉलर कमजोर होने अथवा रुपये के मूल्य में गिरावट आने पर सामान्यतः स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि होती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य की रक्षा होती है।
- **संकट के समय सुरक्षित निवेश:** युद्ध, वित्तीय संकट और महामारी जैसी परिस्थितियों में निवेशक स्वर्ण की ओर प्रवृत करते हैं। इसलिए अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट के दौरान भी स्वर्ण का मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है।

    - उदाहरण: कोविड-19 महामारी तथा पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान स्वर्ण की कीमतें रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गई थीं।
- **विविधीकरण:** स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव का स्वरूप बांड एवं मुद्राओं से अलग होता है। अतः इसे भंडार में शामिल करने से समग्र जोखिम कम होता है।
- **प्रतिबंधों से सुरक्षा:** देश में सुरक्षित रखा गया स्वर्ण वैश्विक भुगतान प्रणाली के माध्यम से अन्य देशों द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि डॉलर में रखी परिसंपत्तियों के साथ ऐसा संभव है।
- **आपातकाल में संपार्श्विक:** आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा शीघ्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ण को गिरवी रखा जा सकता है।
    - उदाहरण: भारत ने वर्ष 1991 में बाह्य भुगतान संबंधी चूक से बचने के लिए स्वर्ण गिरवी रखा था।
- **विश्वास का संकेत:** स्वर्ण का बड़ा भंडार वित्तीय सुदृढ़ता का संकेत देता है, जिससे वित्तीय बाजारों एवं ऋण निर्धारण करने वाली संस्थाओं का विश्वास बढ़ता है।

मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण की भूमिका

स्वर्ण मानक: 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अनेक देशों की मुद्राओं का विनिमय स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के साथ प्रत्यक्षतः किया जा सकता था।

ब्रेटन वुड्स व्यवस्था (1944–1971): इस व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर का मूल्य 35 डॉलर प्रति औंस स्वर्ण के बराबर निर्धारित किया गया था तथा अन्य मुद्राओं का मूल्य डॉलर से संबद्ध था। वर्ष 1971 में अमेरिका द्वारा डॉलर को स्वर्ण में परिवर्तित करने की व्यवस्था समाप्त करने के साथ यह प्रणाली समाप्त हो गई।

वर्तमान स्थिति: वर्तमान में किसी भी देश की मुद्रा स्वर्ण पर आधारित नहीं है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार में मौद्रिक स्वर्ण को शामिल करता है तथा केंद्रीय बैंक आज भी स्वर्ण के सबसे बड़े धारकों में शामिल हैं।

आरबीआई द्वारा स्वर्ण भंडार का भंडारण कहाँ किया जाता है?

- आरबीआई अपना स्वर्ण भारत में स्थित अपने स्वयं के सुरक्षित भंडारों तथा विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के पास रखता है।
- लंदन वैश्विक स्वर्ण बाजार का प्रमुख केंद्र है। इसलिए वहाँ रखा गया स्वर्ण शीघ्रता से बेचा, विनिमय किया अथवा गिरवी रखा जा सकता है।
- वर्ष 2024 में आरबीआई ने ब्रिटेन से लगभग 100 टन स्वर्ण भारत वापस लाया था। वर्ष 1991 के बाद यह अपनी तरह की सबसे बड़ी वापसी प्रक्रियाओं में से एक थी।

भारतीय परिवारों के पास स्वर्ण

- **निजी स्वर्ण भंडार:** अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन से अधिक स्वर्ण है, जो आरबीआई के स्वर्ण भंडार से कई गुना अधिक है। इसका अधिकांश हिस्सा आभूषणों के रूप में रखा गया है।
- **आयात का भार:** भारत अपनी स्वर्ण आवश्यकता का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ता है तथा रुपये पर दबाव पड़ता है।
- **सरकारी योजनाएँ:** निष्क्रिय स्वर्ण को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाने तथा आयात कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और सॉवरेन स्वर्ण बांड योजना शुरू की गई थीं।
    - स्वर्ण की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पन्न उच्च लागत के चलते वर्ष 2025 में सॉवरेन स्वर्ण बांड के नए निर्गम तथा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम एवं दीर्घकालिक जमा विकल्प बंद कर दिए गए।

आरबीआई स्वर्ण भारत वापस क्यों ला रहा है?

- **विदेशी मुद्रा भंडार का राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग:** वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को अवरुद्ध कर दिया था। इससे स्पष्ट हुआ कि विदेशों में रखी गई परिसंपत्तियों को संघर्ष की स्थिति में रोका जा सकता है।
- **अधिक नियंत्रण एवं सुरक्षा:** देश में रखा गया स्वर्ण किसी अन्य देश द्वारा अवरुद्ध अथवा जब्त नहीं किया जा सकता। इससे भारत की सामरिक स्वायत्तता को समर्थन मिलता है।
- **वैश्विक प्रवृत्ति:** विश्व स्वर्ण परिषद के वर्ष 2026 के सर्वेक्षण के अनुसार, विगत एक वर्ष में 9% केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वर्ण के घरेलू भंडारण में वृद्धि की है, जबकि एक वर्ष पहले यह आँकड़ा 5% था।
- **वर्ष 1991 का भुगतान संतुलन संकट:** भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत को तत्काल बाह्य भुगतान दायित्वों को पूरा करने तथा विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास विदेशों में 67 टन स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था।

प्रमुख चिंताएँ

- **तरलता में कमी:** लंदन में रखे स्वर्ण का वैश्विक बाजारों में शीघ्रता से विक्रय, विनिमय किया अथवा गिरवी रखा जा सकता है। इसके विपरीत, भारत में रखा स्वर्ण आपातकालीन परिस्थितियों में अपेक्षाकृत कठिनाई से उपयोग किया जा सकता है।

- **भंडारण एवं सुरक्षा लागत:** घरेलू स्वर्ण भंडारों के लिए उच्चस्तरीय सुरक्षा, बीमा और लेखा-परीक्षण की आवश्यकता होती है।
- **कोई प्रतिफल नहीं:** बांड के विपरीत स्वर्ण पर ब्याज प्राप्त नहीं होता। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का अनुपात बढ़ने से आय अर्जित करने की क्षमता कम हो सकती है।
- **मूल्य में अस्थिरता:** स्वर्ण की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव से भंडार की मात्रा में कोई परिवर्तन हुए बिना भी उसके कुल मूल्य में बदलाव हो सकता है।

आगे की राह

- **विविधीकृत विदेशी मुद्रा भंडार:** प्रतिफल को प्रभावित किए बिना डॉलर आधारित परिसंपत्तियों के साथ स्वर्ण एवं अन्य मुद्राओं के बीच संतुलन धीरे-धीरे स्थापित किया जाना चाहिए।
- **घरेलू स्वर्ण बाजार का विकास:** गिफ्ट सिटी स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि भारत में रखे गए स्वर्ण का व्यापार अधिक सुगमता से किया जा सके।
- **रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण:** दीर्घकाल में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए रुपये में व्यापारिक लेन-देन एवं भुगतान निपटान का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

लोकतंत्र में अंबेडकर की अंत:करण संबंधी अवधारणा

संदर्भ

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने बल दिया था कि लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए सार्वजनिक अंत:करण की अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है।

सार्वजनिक अंत:करण क्या है?

- सार्वजनिक अंत:करण एक सामूहिक नैतिक चेतना है, जो पीड़ित व्यक्ति चाहे कोई भी हो, प्रत्येक अन्याय के विरुद्ध जागृत होती है और लोगों को उसके विरुद्ध आवाज उठाने तथा कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही उस अन्याय का उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध न हो।
- व्यक्तिगत अंत:करण की तरह सार्वजनिक अंत:करण का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता अथवा अपराधबोध से नहीं है। यह उस साझा दायित्व से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए।

लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक अंत:करण क्यों आवश्यक है?

- **अधिकारों का संरक्षण:** विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण तब तक संभव नहीं है, जब तक समाज स्वयं उनका सम्मान न करे।
  - यदि सामाजिक चेतना अधिकारों का समर्थन करती है, तो वे अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक समर्थन के अभाव में कानून एवं न्यायिक संस्थाएँ भी उनकी रक्षा करने में विफल हो सकती हैं।
- **कानून एवं समाज के बीच सेतु:** यदि सामाजिक प्रथाएँ एवं दृष्टिकोण कानूनों के क्रियान्वयन के विरुद्ध हों, तो कानून केवल औपचारिक घोषणाएँ बनकर रह सकते हैं। सार्वजनिक अंत:करण विधायी उद्देश्यों को वास्तविक सामाजिक परिणामों में परिवर्तित करने में सहायता करता है।
- **वंचित वर्गों का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करता है कि वंचित समुदायों के विरुद्ध भेदभाव एवं अन्याय के प्रति समाज उदासीन न रहे, बल्कि सामूहिक रूप से उसका प्रतिरोध करे।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण:** लोकतंत्र के लिए केवल चुनावों में भागीदारी एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि नागरिकों में दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना भी आवश्यक है।

बंधुता एवं जाति व्यवस्था

- **जाति-आधारित विखंडन:** अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को सार्वजनिक अंत:करण के विकास में एक बड़ी बाधा माना था। यह समाज को पदानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित विभिन्न समूहों में विभाजित करती है।
- **श्रेणीबद्ध असमानता:** अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को ऐसी पदानुक्रमित संरचना बताया, जिसमें "सम्मान का आरोही क्रम और तिरस्कार का अवरोही क्रम" विद्यमान होता है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एकजुटता को कमजोर करता है।
- **बंधुता का अभाव:** बंधुता के अभाव में लोगों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वे अन्य जातियों के सदस्यों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की संभावना भी कम रखते हैं।
- **राजनीतिक संस्थाओं से परे लोकतंत्र:** अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता। सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता, समता और बंधुता है।

बंधुता विकसित करने का दृष्टिकोण

- बंधुता का विकास दैनिक जीवन के साझा अनुभवों के माध्यम से होता है। जन्म, विवाह, मृत्यु, भोजन तथा अन्य सामाजिक गतिविधियाँ लोगों के बीच पारस्परिक जुड़ाव एवं अपनत्व की भावना उत्पन्न करती हैं।

- केवल समानता का उपदेश देने से बंधुता विकसित नहीं हो सकती। इसके लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच निरंतर संवाद, परस्पर संपर्क एवं सहभागिता आवश्यक है।
- अंबेडकर का मानना था कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का एक संभावित साधन हो सकता है, बशर्ते वह अंधविश्वास एवं अलौकिकता के बजाय नैतिक आचरण, बंधुत्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में सहायक हो।
- अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को उसके मूल सिद्धांतों के माध्यम से बंधुता विकसित करने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में देखा। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
  - **प्रज्ञा:** समझ एवं तार्किक चिंतन।
  - **करुणा:** दूसरों के प्रति दया एवं संवेदनशीलता।
  - **मैत्री:** मित्रता, सहचर्य एवं बंधुता की भावना।

आगे की राह

- लोकतंत्र को केवल संवैधानिक संरचनाओं तक सीमित न रखकर दैनिक सामाजिक संबंधों तक विस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संबंध न्याय के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
- बंधुता, सामाजिक सहभागिता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक अंत:करण को सुदृढ़ करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संवैधानिक अधिकारों का सम्मान केवल कानूनों में ही नहीं, बल्कि समाज में भी किया जाए।

स्रोत: IE

उच्चतम न्यायालय का निर्देश: PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य

संदर्भ

- भारत संघ बनाम जे. शेखर (2026) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकरण की प्रत्येक पीठ में संपत्ति की कुर्की की पुष्टि से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कम-से-कम एक न्यायिक सदस्य का होना अनिवार्य है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

- इसे धन शोधन की रोकथाम तथा धन शोधन से प्राप्त अथवा उसमें संलिप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में भारतीय संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था।
- पीएमएलए तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम वर्ष 2005 से प्रभावी हुए। इसके बाद वर्ष 2009 एवं 2012 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए।
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
  - **अपराध से अर्जित आय [धारा 2(1)(u)]:** इसके अंतर्गत अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त कोई भी संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य शामिल है।
  - **अस्थायी कुर्की [धारा 5]:** अधिकृत अधिकारी वैधानिक शर्तों के अधीन अपराध से अर्जित आय होने के संदेह वाली संपत्ति को अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।
  - **निर्णयन [धारा 8]:** शिकायत दर्ज होने के बाद निर्णायक प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस जारी करता है तथा संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि संबंधित संपत्ति धन शोधन में संलिप्त है या नहीं तथा उसकी कुर्की की पुष्टि की जानी चाहिए या नहीं।
  - **संपत्ति की जब्ती [धारा 8(5) एवं 8(6)]:** मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय कार्यवाही के परिणाम के आधार पर धन शोधन में संलिप्त संपत्ति को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे सकता है।

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- **एकल सदस्यीय पीठ की अनुमति:** निर्णायक प्राधिकरण एकल सदस्यीय पीठ के माध्यम से कार्य कर सकता है, बशर्ते अंतिम निर्णय देने वाला सदस्य न्यायिक सदस्य हो।
- **कारण बताओ नोटिस:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 8(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए न्यायिक सदस्य की भागीदारी अनिवार्य नहीं है।
- **अध्यक्ष की नियुक्ति:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से न्यायिक सदस्य ही हो, यह आवश्यक नहीं है।

धन शोधन क्या है?

- धन शोधन वह अवैध प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी अथवा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण जैसे आपराधिक कार्यों से अर्जित बड़ी धनराशि को वैध स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
  - आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में इस धन का उपयोग हिंसक उग्रवादी संगठनों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद खरीदने तथा उनके सदस्यों को प्रशिक्षण देने सहित अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को 'अवैध धन' माना जाता है। इसे वैध धन के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही धन शोधन कहा जाता है।

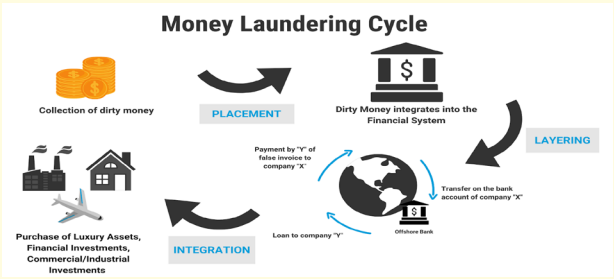

धन शोधन के प्रभाव

- **कर राजस्व में कमी:** अवैध धन को सरकारी प्राधिकारियों से छिपाए जाने के कारण सरकारों को कर संग्रह में अत्यधिक हानि होती है। इससे सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण की उनकी क्षमता कमजोर होती है।
- **परिसंपत्ति संबंधी कृत्रिम मूल्य वृद्धि:** धन शोधन के माध्यम से प्राप्त धन का निवेश प्रायः अचल संपत्ति, स्वर्ण एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं में किया जाता है। इससे परिसंपत्तियों की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि तथा आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **निवेश में बाधा:** धन शोधन के कारण उत्पन्न अनिश्चितता एवं पारदर्शिता के अभाव से घरेलू और विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है।
- **आपराधिक नेटवर्क को बढ़ावा:** धन शोधन संगठित अपराधों को बनाए रखने में सहायता करता है। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद एवं मानव तस्करी जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:** जिन देशों में धन शोधन-रोधी उपाय कमजोर माने जाते हैं, उन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) जैसे वैश्विक संगठनों की ओर से प्रतिबंधों अथवा अन्य प्रतिबंधात्मक उपायों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं व्यापार प्रभावित होते हैं।

धन शोधन से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) के ई-चालान एवं ई-वे बिल:** ये आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह साइबर अपराधों के विरुद्ध कानून प्रवर्तन एवं कार्रवाई को सुदृढ़ करता है।
- **केंद्रीय केवाईसी अभिलेख पंजी (CKYCR):** यह ग्राहक पहचान संबंधी आँकड़ों एवं अभिलेखों का केंद्रीय भंडार है।
- **जाँच एजेंसियाँ:** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन से संबंधित मामलों की प्रभावी जाँच करते हैं।
- **वित्तीय आसूचना इकाई–भारत (FIU-IND):** यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने, उनका प्रसंस्करण एवं विश्लेषण करने तथा संबंधित एजेंसियों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है।
  - यह धन शोधन एवं इससे संबंधित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF), एशिया/प्रशांत धन शोधन निरोधक समूह (APG) तथा विभिन्न देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, पारस्परिक विधिक सहायता एवं संपत्ति की वसूली से संबंधित व्यवस्थाओं के माध्यम से सहयोग करता है।

स्रोत: TH

वर्ष 2026 में वैश्विक समुद्री व्यापार के ठहराव की आशंका

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) द्वारा जारी 'समुद्री परिवहन की समीक्षा, 2026' के अनुसार, प्रमुख नौवहन मार्गों में व्यवधान के कारण वर्ष 2026 में वैश्विक समुद्री व्यापार के स्थिर रहने की आशंका है।

वैश्विक समुद्री व्यापार की प्रवृत्तियाँ

- **समुद्री व्यापार की धीमी वृद्धि:** वर्ष 2025 में वैश्विक समुद्री व्यापार में 1.9% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 12.3 अरब टन हो गया, जबकि वर्ष 2024 में इसमें 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी। UNCTAD के अनुसार, वर्ष 2026 में इसमें कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है, हालाँकि वर्ष 2027 में इसमें 3.2% की वृद्धि हो सकती है।
- **प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधान:** होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर, काला सागर और पनामा नहर से जुड़े संघर्षों एवं व्यवधानों के कारण नौवहन लागत, पारगमन समय और अनिश्चितता में वृद्धि हुई है।
- **माल ढुलाई लागत में वृद्धि:** जनवरी से अगस्त 2026 के बीच कंटेनर की हाजिर माल-ढुलाई दरें दोगुने से अधिक हो गईं। इसका प्रमुख कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और जहाजों के मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता रही।
- **वैश्विक जहाजी बेड़े का वृद्ध होना:** वैश्विक जहाजी बेड़े की क्षमता में 3.5% की वृद्धि हुई, जो माल की मात्रा में वृद्धि से अधिक है। वहीं, 40% से अधिक जहाज 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

समुद्री व्यवधानों का प्रभाव

- **ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान:** होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला यातायात, जहाँ से सामान्यतः समुद्री मार्ग से परिवहन किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 37% और पेट्रोलियम उत्पादों का 19% गुजरता है, तीव्र रूप से घट गया। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है।
- **नाविकों की सुरक्षा:** समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण फारस की खाड़ी में 20,000 से अधिक नाविक फँस गए, जिनमें बड़ी संख्या भारतीय नाविकों की भी है।
- **मुद्रास्फीतिकारी दबाव:** तेल एवं माल-ढुलाई की बढ़ती लागत से आयात व्यय और मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ रहे हैं। इसका प्रभाव विशेष रूप से अल्पविकसित देशों (LDCs) पर अधिक पड़ रहा है।
- **आपूर्ति शृंखला में अनिश्चितता:** लंबे समुद्री मार्गों, बंदरगाहों पर भीड़भाड़ और अनिश्चित पारगमन समय के कारण वैश्विक व्यापार प्रवाह प्रभावित हुआ है।

बदलते नौवहन नेटवर्क का भारत पर प्रभाव

- वर्ष 2015 से 2025 के बीच भारत-अमेरिका कंटेनर व्यापार की मात्रा में 6.26 लाख टीईयू (TEU) अर्थात् 95% की वृद्धि हुई, जबकि भारत को चीन के निर्यात में 131% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **ऊर्जा आयात पर बढ़ती निर्भरता:** भारत का कच्चे तेल का आयात वर्ष 2000 में लगभग 72 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024 में 240 मिलियन टन हो गया। इससे समुद्री मार्गों में व्यवधान के प्रति भारत की संवेदनशीलता बढ़ गई है।
- **जहाजों के पुनर्चक्रण में भारत की अग्रणी स्थिति:** वर्ष 2025 में भारत ने वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में 35.4% की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया। इस दौरान भारत में लगभग 30 लाख सकल टन भार वाले जहाजों का पुनर्चक्रण किया गया। इस क्षेत्र में बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा।
- **बंदरगाहों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि:** नौवहन कंपनियों द्वारा जहाजों का मार्ग बदलकर भारतीय बंदरगाहों की ओर भेजे जाने के कारण फरवरी से जून 2026 के बीच मुंद्रा बंदरगाह की निर्धारित कंटेनर क्षमता में 53% और न्हावा शेवा बंदरगाह की क्षमता में 47% की वृद्धि हुई।
- भारत के पास 1,178 जहाजों का नौवहन बेड़ा है, जिसका कुल सकल टन भार 28.8 मिलियन डेडवेट टन (DWT) है। भारत विश्व का 20वाँ सबसे बड़ा नौवहन राष्ट्र है।

भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रमुख पहलें

- **व्यापारी नौवहन अधिनियम, 2025:** इसका उद्देश्य समुद्री विनियमन का आधुनिकीकरण करना है। इसके अंतर्गत स्वामित्व संबंधी आवश्यकताओं में छूट देने जैसे बदलावों के माध्यम से भारत की ध्वज-पंजीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **समुद्री अमृत काल दृष्टि, 2047:** इसका उद्देश्य जहाज निर्माण क्षमता और समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करके भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री राष्ट्र के रूप में विकसित करना है।
- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह प्रमुख कार्यक्रम 'समुद्री भारत दृष्टि, 2030' तथा 'समुद्री अमृत काल दृष्टि, 2047' का एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **सीमित नौवहन संपर्क:** लाइनर नौवहन संपर्क सूचकांक (LSCI) में भारत नौवें स्थान पर है, जबकि वियतनाम इससे आगे है। वियतनाम ने वर्ष 2006 में 28वें स्थान से सुधार करते हुए छठा स्थान प्राप्त किया है।
- **विदेशी नौवहन नेटवर्क पर निर्भरता:** बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि के बावजूद भारत वैश्विक नौवहन कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय पारगमन केंद्रों पर निर्भर बना हुआ है।
- **ऊर्जा संबंधी संवेदनशीलता:** कच्चे तेल एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों के आयात के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भरता भारत को भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **सीमित जहाज निर्माण क्षमता:** भारत को वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार करने और स्थापित जहाज निर्माण अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
- **बंदरगाहों पर भीड़भाड़:** जहाजों के मार्ग परिवर्तन तथा भारतीय बंदरगाहों के निकट प्रतीक्षा कर रहे तेल टैंकरों और गैस वाहक जहाजों के आगमन से भीड़भाड़ एवं परिचालन संबंधी दबाव बढ़ गया है।

आगे की राह

- माल की आवाजाही और संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए बहु-माध्यमीय संपर्क व्यवस्था के साथ बंदरगाह अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- भारत की नौवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए घरेलू जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और समुद्री वित्तपोषण का विस्तार करना।
- नौवहन क्षमता में वृद्धि तथा बंदरगाहों के कुशल संचालन के माध्यम से लाइनर नौवहन संपर्क सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारना।
- समुद्री मार्गों में व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता कम करने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के साथ-साथ सामरिक भंडार को सुदृढ़ करना।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

गुरु तेग बहादुर जी

चर्चा में क्यों?

- संस्कृति मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के वर्षव्यापी आयोजन के समापन समारोह का आयोजन किया।

परिचय

- गुरु तेग बहादुर का जन्म वर्ष 1621 में अमृतसर में त्याग मल के रूप में हुआ था। वे छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे।
- किशोरावस्था में उन्होंने वर्ष 1635 में मुगल सेनाओं के विरुद्ध करतारपुर के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में उनके असाधारण कौशल के कारण उन्हें 'तेग बहादुर' अर्थात् 'तलवार का धनी एवं वीर' कहा जाने लगा।
- उन्हें **'भारत की ढाल'** कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जबकि वह धर्म उनका अपना धर्म भी नहीं था।
- गुरु गोबिंद सिंह के दरबारी कवि सेनापति ने उन्हें **'सृष्टि दी चादर'** अर्थात् मानवता का रक्षक कहा था।

स्रोत: TH

भारत में विटामिन B12 की कमी

संदर्भ

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के लगभग दो-तिहाई किशोरों में विटामिन B12 की कमी पाई गई है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **किशोर (10–19 वर्ष):** 66.1% लड़कों और 65.4% लड़कियों में विटामिन B12 की कमी पाई गई।
- **इस आयु वर्ग में आयरन और फोलेट की तुलना में विटामिन B12 की कमी अधिक गंभीर समस्या है:**
  - **लड़कियाँ:** 65.4% में विटामिन B12 की कमी, 36.3% में आयरन की कमी और 8.6% में फोलेट की कमी पाई गई।
  - **लड़के:** 66.1% में विटामिन B12 की कमी, 10% में आयरन की कमी और 6.3% में फोलेट की कमी पाई गई।
- **एनीमिया और विटामिन B12 की कमी अलग-अलग समस्याएँ हैं:** 46.3% किशोरियों और 22.8% किशोरों में एनीमिया पाया गया, लेकिन दोनों समूहों में विटामिन B12 की कमी का स्तर इससे कहीं अधिक था। किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य होने के बावजूद विटामिन B12 की कमी हो सकती है।

विटामिन B12 क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- यह जल में घुलनशील विटामिन (कोबालामिन) है, जिसका निर्माण मानव शरीर स्वयं नहीं कर सकता। इसकी पूर्ति भोजन के माध्यम से करनी आवश्यक है।
- यह मुख्यतः पशु-आधारित खाद्य पदार्थों, जैसे दूध, दही, अंडे, मछली और मांस में पाया जाता है। वनस्पति-आधारित खाद्य पदार्थों में इसकी मात्रा लगभग नगण्य होती है। इस कारण शाकाहारी लोगों में इसकी कमी का जोखिम अधिक रहता है।
- विटामिन B12 डीएनए संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के सुचारु कार्य तथा मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है।

स्रोत:TH

पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने वाले भाग पर पोषण संबंधी लेबलिंग (FOPNL) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमों को सख्त करने को कहा है, ताकि उपभोक्ता अस्वास्थ्यकर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकें।

पैकेट के सामने वाले भाग पर पोषण संबंधी लेबलिंग (FoPL)

- पैकेट के सामने वाले भाग पर पोषण संबंधी लेबलिंग (FoPNL) खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर दी जाने वाली पोषण संबंधी जानकारी का चित्रात्मक प्रदर्शन है।
- यह उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की खरीद के संबंध में सूचित निर्णय लेने तथा अधिक स्वास्थ्यकर आहार विकल्प चुनने में सहायता कर सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा पहचाने गए जोखिम कारक

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर-संचारी रोगों के प्रमुख कारणों के रूप में चार व्यवहारगत जोखिम कारकों की पहचान की है:

1. तंबाकू का सेवन।
2. संतृप्त वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन।

3. शराब का अत्यधिक सेवन।
4. अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि।

- उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि भारत में गैर-संचारी रोगों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जो कुल वार्षिक मृत्युओं का लगभग 63% है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक कुल मृत्युओं में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 75% हो जाएगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का प्रस्ताव

- FSSAI ने पहले ही पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के लिए 0.5 से 5 स्टार तक की श्रेणी वाली रेटिंग प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा और 14,000 से अधिक सार्वजनिक टिप्पणियाँ चेतावनी लेबल के पक्ष में प्राप्त हुईं।
- उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकरण की बाद की योजनाओं को भी अस्वीकार कर दिया। इन योजनाओं में पैकेट के पिछले भाग पर अनुशंसित दैनिक आहार मात्रा (RDA) के प्रतिशत तथा सामने वाले भाग पर दैनिक पोषण संबंधी सीमाएँ प्रदर्शित करना शामिल था।
- न्यायालय के अनुसार, ये प्रस्ताव किसी खाद्य उत्पाद से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में स्पष्ट, त्वरित और आसानी से समझ में आने वाली जानकारी प्रदान नहीं करते थे।

उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्देश

- **चित्रात्मक चेतावनी:** षट्कोणीय लेबल में चित्रों के साथ 'उच्च वसा', 'उच्च चीनी' या 'उच्च नमक' जैसे शब्द होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आसानी से समझ सके।
- **अलग-अलग चेतावनी लेबल:** प्रत्येक चिंताजनक पोषक तत्त्व के लिए अलग षट्कोणीय लेबल होना चाहिए।
  - किसी उत्पाद में चीनी, नमक और वसा की मात्रा के आधार पर एक, दो या तीन चेतावनी लेबल हो सकते हैं।
- **पोषक तत्त्वों का आकलन:** चेतावनी निर्धारित करने के मानदंडों में केवल मिलाई गई चीनी और वसा ही नहीं, बल्कि कुल चीनी तथा संतृप्त वसा की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **उपयुक्त मानदंड:** FSSAI को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मानक निर्धारित करने चाहिए, ताकि अत्यधिक चेतावनियों के कारण उपभोक्ताओं में चेतावनी के प्रति उदासीनता उत्पन्न न हो और न ही आवश्यक चेतावनियों की संख्या बहुत कम रहे।
- **लेबल का आकार:** चेतावनी लेबल स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले तथा प्रमुख अक्षरों में होने चाहिए। इन्हें पैकेट के प्रदर्शित होने वाले भाग के कम-से-कम 4–5% क्षेत्र में स्थान मिलना चाहिए।
- **पेय पदार्थों की लेबलिंग:** जिन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा अधिक नहीं है, उनके श्रेणी-सूचक लेबल उच्च चीनी वाले पेय पदार्थों के चेतावनी लेबल के समान नहीं होने चाहिए।
- **छूट प्राप्त खाद्य पदार्थ:** FSSAI को उन ठोस एवं तरल खाद्य पदार्थों की एक व्यापक सूची तैयार करनी चाहिए, जिन्हें लेबलिंग संबंधी इन प्रावधानों से छूट दी जाएगी। इसमें मुख्यतः चीनी, नमक और तेल जैसे एकल घटक वाले खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए।
- **परिरक्षकों एवं योजकों का उपयोग:** FSSAI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य निर्माता चेतावनी लेबल के मूल उद्देश्य को निष्प्रभावी करने के लिए परिरक्षकों एवं खाद्य योजकों का दुरुपयोग न करें।
- **कार्यान्वयन की समय-सीमा:** FSSAI को सुझाई गई चार महीने की अवधि के भीतर नियम लागू करने होंगे। साथ ही, संक्रमण अवधि के दौरान दुरुपयोग रोकने के लिए खाद्य उद्योग की निगरानी करनी होगी।

स्रोत: IE

वर्ष 2028 के मध्य तक स्वदेशी ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई (GPU) विकसित करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) ने वर्ष 2028 के मध्य तक पूर्णतः स्वदेशी ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई (GPU) विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभों के माध्यम से इसे मूल्य की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना है।

ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाई (GPU)

- यह एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संसाधक है, जिसे ग्राफिक्स, छवि प्रसंस्करण तथा अन्य अधिक आँकड़ा-आधारित संगणकीय कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है।
- इसका व्यापक उपयोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर तथा अन्य डिजिटल उपकरणों में होता है।
- यह कंप्यूटर द्वारा एक साथ कई कार्यक्रमों के संचालन में लगने वाले समय को कम करता है।
- यह मशीन लर्निंग (ML), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ब्लॉकचेन जैसी उभरती एवं भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

भारत की स्थिति

- भारत एआई मिशन के अंतर्गत जून 2026 तक साझा संगणकीय क्षमता का विस्तार करके 45,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयाँ (GPU) उपलब्ध कराई गई हैं।
- अगस्त 2026 तक 237 परियोजनाओं ने रियायती दरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगणना सुविधाओं का उपयोग किया, जिसके अंतर्गत कुल 93.18 लाख GPU घंटे की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रारूपों के विकास, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं अनुसंधान के लिए किफायती उच्च-प्रदर्शन संगणना उपलब्ध होती है। इससे भारतीय शोधकर्ताओं, नवोदित उद्यमों और नवाचारकर्ताओं के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश की बाधाएँ कम होती हैं।

स्रोत: TH

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में सहयोग

चर्चा में क्यों?

- कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) ने समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद एवं कट्टरपंथ का सामना करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)

- यह वर्ष 2020 में स्थापित एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसमें भारत, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों से संबंधित सीमापार खतरों एवं चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा।
- आतंकवाद एवं कट्टरपंथ का सामना करना।
- मानव तस्करी तथा सीमापार संगठित अपराधों पर रोक लगाना।
- साइबर सुरक्षा तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षण।
- मानवीय सहायता एवं आपदा राहत।

स्रोत: IE

बोइता बंदना

चर्चा में क्यों?

- कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा में सूर्योदय के समय बोइता बंदना पर्व मनाया गया।

बोइता बंदना के बारे में

- 'बोइता' का अर्थ नाव और 'बंदना' का अर्थ पूजा है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ नावों की पूजा करना है। इसे 'डोंगा भासा' भी कहा जाता है।
- कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय लोग केले के तने, कागज, कॉर्क या पत्तों से बनी छोटी नावों को दीपक, फूल और सुपारी के साथ जल में प्रवाहित करते हैं।
- यह अनुष्ठान प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन ओडिया नाविकों की समुद्री यात्राओं का पुनर्स्मरण कराता है।
- यह पर्व पूरे राज्य में मनाया जाता है। कटक का गड़गड़िया घाट और भुवनेश्वर की बिंदुसागर झील इसके प्रमुख आयोजन स्थलों में शामिल हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **कलिंग का समुद्री व्यापार:** प्राचीन कलिंग के दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापक समुद्री व्यापारिक संबंध थे। इसके प्रमुख बंदरगाहों में ताम्रलिप्ति, पालूर, चेलितालो और माणिकपटना शामिल थे।
- **साधव:** पारंपरिक ओडिया समुद्री व्यापारी साधव कहलाते थे। वे वस्तुओं के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं का भी आदान-प्रदान करते हुए बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, म्यांमार, स्याम और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों की यात्रा करते थे।
- **मौसमी समुद्री यात्राएँ:** कार्तिक पूर्णिमा का संबंध अनुकूल मौसमी पवनों से है, जिनकी सहायता से प्राचीन व्यापारी समुद्र पार की यात्राएँ करते थे।

स्रोत: PIB

■■■■